FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0260 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/10/2025 18:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/10/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/10/2025 18:39:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICAB

(b) **Address(पता):** POLICE THANA RANOLI KE SAMANE, SADAK PAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MUKESH BHASKAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARPHOOL SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 18/05/1986 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAKARO KI DHANEE KATARATHAL, DADIYA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAKARO KI DHANEE KATARATHAL, DADIYA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNIWAS		पिता:LET.RAMPRATAP	1. GRAM BHOPALPURA,NEEM KA THANA,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 27.09.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन नम्बर 1064 ने परिवादी श्री मुकेश भास्कर के मोबाईल नम्बर [redacted] उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। परिवादी श्री मुकेश ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मुझ उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मै कटराथल का रहने वाला हू। पुलिस थाना रानौली जिला सीकर में श्री रामनिवास हैडकानि. मेरे से मेरे भतीजे सुनिल के विरूद्ध दर्ज एमपीआर में कोई कार्यवाही नही करने एवं उसके विरूद्ध दी गई रिपोर्ट को बंद करने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वत मांग कर रहा है। परिवादी ने दिनांक 28.09.2025 को कार्यालय में आने की कही। दिनांक 28.09.2025 को परिवादी श्री मुकेश भास्कर ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का आधार कार्ड फोटोप्रति इस आश्य का पेश किया कि सेवामें श्रीमान उप अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनूं (राज.) विषय पुलिस थाना रानोली के हैडकानि रामनिवास को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत महोदय निवेदन है कि मै मुकेश भास्कर पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी कटराथल जिला सीकर का रहने वाला हू। मेरा भतीजा सुनिल भास्कर निवासी कटराथल अपनी साथी मनीषा की रजामंदी से दोनो दिनांक 08.09.2025 को गांव से आर्य समाज संस्थान गाजियाबाद उतर प्रदेश में जाकर 09.09.2025 को शादी कर ली। मनीषा के घर वालो ने मनीषा के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट थाना रानौली में दर्ज करवा दी। जिसकी जांच हैडकानि रामनिवास थाना रानौली कर रहे है। दिनांक 16.09.2025 को मनीषा स्वयं पुलिस अधीक्षक सीकर के समक्ष पेश होकर अपनी स्वयं की मर्जी से सुनिल भास्कर निवासी कटराथल के साथ जाना बताया व सुनिल के साथ आर्य समाज संस्थान गाजियाबाद में शादी करना बताया तब हैडकानि रामनिवास ने एसपी ऑफिस सीकर में ही मनीषा के बयान दर्ज कर मनीषा को हमारे साथ जाने रूखस्त कर दिया। मेरी भतीजे के विरूद्ध थाना रानौली पर 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई एवं मनीषा के घर वालो ने गुमशुदगी में सुनिल भास्कर का मनीषा भगाकर ले जाने की शंका जाहिर की थी जिसमें रामनिवास हैडकानि आगे कोई कार्यवाही नही कर सुनिल के खिलाफ उक्त रिपोर्ट बंद करने के लिए हमसे 20000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है और हमे डरा धमका रहे है कि अगर ये रूपये नही दिये तो सुनिल के खिलाफ लडकी को भगाकर ले जाने का मामला तो मै दर्ज करवा दूंगा। हमारा अब कोई मामला नही बनता है फिर भी हैड कानि रामनिवास जी हम पर दबाव व झूठा मुकदमा दर्ज करने के नाम पर 20000 की रिश्वत लेना चाह रहे है। उन्होने कल 27.09.2025 को फोन करके मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है। मै रामनिवास हैड कानि को बिना कारण रिश्वत नही देना चाहता हू। और रामनिवास हैड कानि को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी रामनिवास हैड कानि से कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है और रामनिवास से किसी प्रकार का कोई लेनदेन बकाया नही है। रिपोर्ट करता हू कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 28.09.2025 एसडी मुकेश भास्कर सन ऑफ श्री हरफूल सिंह जाति जाट निवासी कटराथल तहसील व जिला सीकर मो. [redacted] परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै श्री रामनिवास हैड कानि से आज मिल कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 का परिचय परिवादी से करवाया। कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकार्डर एवं खाली मौमारी कार्ड निकाल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। परिवादी को कार्यालय की डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. को कार्यालय की डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री मुकेश भास्कर के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी की कार से पुलिस थाना रानौली जिला सीकर के लिए रवाना किया गया। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना रानौली के बाहर पहूंचकर परिवादी ने गोपनीय रूप से श्री रामनिवास हैड कानि के बारे में गोपनीय रुप से जानकारी की तो वह पुलिस थाना रानौली में होना मालूम हुआ। जिस पर परिवादी श्री मुकेश भास्कर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड डालकर उसको चैक करने के बाद चालु कर परिवादी को सुपुर्द किया गया एवं परिवादी मुकेश भास्कर पुलिस थाना रानौली के अन्दर श्री रामनिवास हैड कानि से मिलकर रूबरू वार्ता करने हेतु रवाना किया गया। करीबन 25 मीनट बाद परिवादी थाने से वापिस बाहर आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया। मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को बंद किया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में

रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया जिसमें परिवादी एवं एक अन्य व्यक्ति की आवाज रिकॉर्ड है जो परिवादी ने बताया श्री रामनिवास हैड कानि की आवाज है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में श्री रामनिवास हैड कानि द्वारा परिवादी से 15000 रूपये की रिश्वत की मांग करना पाया गया एवं रिश्वत राशि लेने हेतु बुधवार का दिन तय किया। तत्पश्चात परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कहा कि मै बुधवार को सुबह रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं में उपस्थित हो जाउंगा। आज मुझे कोई घरेलु कार्य है जिस कारण में वापिस एसीबी कार्यालय झुंझुनूं नही आ सकता जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई एवं श्री ईशाक मोहम्मद कानि. को कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत दी गई। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मौके पर बनाई फर्द सुपुर्दगी के उपस्थित कार्यालय आया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो श्री ईशाक मोहम्मद कानि. एवं परिवादी श्री मुकेश भास्कर द्वारा बताई बातों की ताईद होना पाई गई। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार की जायेगी एवं अग्रीम कार्यवाही की जायेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 01.10.2025 को श्री विक्रम सिंह कानि 92 कार्यालय उप वन सरंक्षक, झुंझुनूं से स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह कनिष्ठ सहायक एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यिमक झुंझुनूं से स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लेकर हाजिर कार्यालय आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 03.10.2025 को समय 8.00 एएम पर आने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 03.10.2025 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नितिन सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजकुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं परिवादी श्री मुकेश भास्कर उपस्थित कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नितिन सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजकुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का परिवादी श्री मुकेश भास्कर से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मुकेश भास्कर द्वारा दिनांक 28.09.2025 को आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि से हुई रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कम्प्युटर में लगाकर रिकार्ड वार्ता को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता का फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि ईशाक मौहम्मद से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया । डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से जोडकर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड hp 32जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी रामनिवास हैडकानि की आवाज होने की पहचान की है। मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री मुकेश भास्कर ने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटोपर श्री विक्रम सिंह कानि 92 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री नितिन सिंह से परिवादी श्री मुकेश भास्कर की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 15,000 रूपये के नोट श्री विक्रम सिंह कानि. से परिवादी श्री मुकेश भास्कर की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री मुकेश भास्कर को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई । दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री विक्रम सिंह कानि, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारेबाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वतके लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी

पूर्वक रिकार्ड करने हेतु श्री ईशाक मौहम्मद कानि को सुपूर्द किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह, श्री राजकुमार, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, श्री नरेन्द्र कुमार 91, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री मुकेश भास्कर के साथ श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री प्रवीण कुमार 36 को परिवादी की गाडी के साथ गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो रानौली थाने से पहले जयपुर जाने वाले हाईवे पर पहॅुच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी एवं समस्त जाप्ता को आवश्यक समझाईश की गई। परिवादी ने अपने परिचित से एक मोटर साईकिल मंगवाई गई। परिवादी श्री मुकेश भास्कर को कानि श्री ईशाक मौहम्मद से डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी को उसी की गाडी से पुलिस थाना रानौली के लिए रवाना किया गया। कानि ईशाक मौहम्मद, प्रवीण कुमार कानि को मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के जयपुर जाने वाले हाईवे पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 12.17 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता वाहन के पुलिस थाना रानौली के सामने रोड़ से नीचे खडी परिवादी की गाडी के पास पहुंचेजहा परिवादी की गाडी के अन्दर परिवादी के पास आगे की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की गाडी की आगे की फाटक खोलकर परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि यही श्री रामनिवास हैड साहब है जिन्होने अभी मेरे से 15,000 रुपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये है। जिस परमन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम रामनिवास हैड कान्स्टिबल पुलिस थाना रानौली होना बताया। मनउप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि को परिवादी से 15,000 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर श्री रामनिवास हैड कानि ने बताया कि मैने श्री मुकेश भास्कर से उधार दिये हुये रुपये लिये है, जिस पर पास ही बैठे परिवादी श्री मुकेश भास्कर ने आरोपी श्री रामनिवास की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री रामनिवास झुठ बोल रहा है, मेरे भतीजे श्री सुनील भास्कर के विरुद्ध पुलिस थाना रानोली में गुमशुदा मनीषा की गुमशुदगी दर्ज थी, जिसकी जांच श्री रामनिवास हैड कानिस्टेबल के पास है, जिन्होने मेरे भतीजे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करने की एवज में मेरे से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री रामनिवास हैड साहब 15,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ जिन्होने आज मेरे से 15,000 रुपये रिश्वत के लिए है। उसके बाद आरोपी श्री रामनिवास कुछ नही बोला। तत्पश्चात श्री रामनिवास का दाहिना हाथ श्री प्रवीण कुमार कानि से तथा बाया हाथ श्री ईशाक मौहम्मद कानि से कलाईयो के उपर से पकडवाकर गाडी से नीचे उतार कर उसी हालत में सावधानी से रोड़ क्रोस कर अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना रानोली में थानाधिकारी के कक्ष में पहुंचकार्यवाही प्रारम्भ की गई। मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भोपालपुरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर, हाल हैड कानि 15, पुलिस थाना रानौली जिला सीकर होना बताया। तत्पश्चातश्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री रामनिवास के दाहिने हाथ की अंगुलियो को तैयार रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने बहुत हल्का गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामनिवास को परिवादी श्री मुकेश भास्कर से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो श्री रामनिवास ने बताया कि मैने श्री मुकेश भास्कर से 15,000 रुपये लिये वो मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे रखे है। श्री रामनिवास को परिवादी से लिये 15,000 रुपये पेश करने की कहने पर उसने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से 15,000 रुपये निकालकर पेश किये जिसे गवाह श्री नितिन सिंह को दिलवाये गये तथा दोनो गवाहान को आरोपी द्वारा अपनी पहनी हुई पेंट से निकालकर पेश किये गये नोटो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने आरोपी के पास मिले नोटो का हुबहु मिलान होना बताया। बरामद रिश्वती राशि 15,000 रुपये गवाह श्री नितिन सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। बरामद नोटो का विवरण निम्न प्रकार हैः- 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 9ED 8343792 एक नोट

पांच सौ रूपये का नम्बरी- 4RC 926057 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 8DC 8643834 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5ME 176549 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 1KA 368505 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5CT 558834 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5CN 121745 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 2BB 8943459 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 2DV 470220 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 0LD 316303 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5MQ 705645 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 4BV 458941 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5RT 15626114 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 1DD 855223 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 7KN 797727 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 7WP 710562 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 6RC 237451 18 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 9DT 643036 19 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 5QF 334070 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 9TQ 258469 21 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 9BU 701568 22 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 4RH 25610023 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 9RB 82381524 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 6BL 60321825 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 1EM 919208 26 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 8MK 525848 27 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 8NM 369371 28 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 7AV 105302 29 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 2RT 646426 30 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी- 2BU 900668 बरामदशुदा उपरोक्त 15,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर बरामद रिश्वती राशि को सील्ड मोहर कर कपड़े पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रामनिवास को दुसरा लोअर उपलब्ध करवा पहनी हुई पेंट बरंग नीला को ससम्मान उतरवाई गई। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री रामनिवास की पेंट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर पेंट की जेब के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। पेंट बरंग नीला को सुखाकर पेंट की दाहिनी जेब पर संबधितो के हस्ताक्षकर करवा पेट को एक सफेद कपड़े की थैली में रख शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मन उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामनिवास को पूछा तो बताया कि परिवादी श्री जगदीश प्रसाद निवासी लाम्बी जोहडी, पलसाना ने दिनांक 09.09.2025 को अपनी बहन सुश्री मनीषा की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिस पर एम.पी.आर. नम्बर 27/2025 दर्ज कर अनुसंधान हेतु मुझे प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान दिनांक 16.09.2025 को सुश्री मनीषा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के समक्ष उपस्थित होने पर मेरे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही सुश्री मनीषा के कथन लेखबद्ध किये तो मनीषा ने बताया मैने श्री सुनील भास्कर निवासी भाखरो की ढाणी तन कटराथल से दिनांक 09.09.2025 को आर्य समाज जन सेवा समिति गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में शादी की ली है तथा स्वेच्छा से अपने पति श्री सुनील भास्कर के साथ जाने के लिए कहा जिस पर मनीषा की ईच्छा अनुसार मनीषा को उसके पति श्री सुनील भास्कर के साथ उसके घर भाखरो की ढाणी तन कटराथल पर छोड़कर आया था। मैने बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 29.09.2025 को एच.एम. कार्यालय में श्री झाबरमल हैड कानि को सुपूर्द की थी। श्री झाबरमल हैड कानि को एम.पी.आर. नम्बर 27/2025 की पत्रावली पेश करने की कहने पर श्री झाबरमल हैड कानि ने श्री रामनिवास हैड कानि के कार्यालय से पत्रावली लाकर पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली जांच पूर्ण कर श्रीमान वृताधिकारी महोदया वृत दातारामगढ जिला सीकर को जरिये पत्रांक 6447-48 दिनांक 29.09.2025 को प्रेषित का अंकन है। उक्त जांच रिपोर्ट पर थानाधिकारी की मोहर पर थानाधिकारी के हस्ताक्षर नही है। श्री झाबरमल ने बताया कि श्री रामनिवास हैड कानि ने दिनांक 29.09.2025 को अपने आउट डोर परेड जयपुर में सम्मिलित होने से पूर्व पत्रावली लाकर डिस्पेच करवाई थी परन्तु पत्रावली की डायरी वगैरा छटी हुई नही थी इसलिए मैने पत्रावली वापस डायरी वगैरा छांट कर लाने हेतु पुनः रामनिवास को लौटाई थी इस कारण उनके कार्यालय में उनके पास रखी हुई थी। श्री राजेश कुमार थानाधिकारी से उक्त एम.पी.आर. के बारे में पूछा तो बताया कि उक्त एम.पी.आर. श्री रामनिवास हैड कानि के जिम्मे थी। श्री रामनिवास हैड कानि का हैड कानि से सउनि का प्रमोशन आउटडोर टेस्ट जयपुर होने के कारण श्री रामनिवास से इसके बारे में नही पूछा था तथा उक्त एम.पी.आर. की पत्रावली मेरे समक्ष पेश नही होने से मेरे हस्ताक्षर नही है। जिस पर उक्त मूल एम.पी.आर. पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेज संख्या 01 से 59 तक प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि पुलिस थाना रानौली जिला सीकर के बरामदगी रिश्वती राशि, हाथो एवं पेंट के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Hp 32GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर

लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल तीन विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो तीनो विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क डी अंकित किया गया। आरोपी श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भोपालपुरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर, हाल हैड कानि न0 15, पुलिस थाना रानौली जिला सीकर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री मुकेश भास्कर द्वारा दिनांक 03.10.2025 को वरवक्त रिश्वत लेनदेन आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि से हुई रूबरू वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है जिसका वार्ता रुपान्तरण कानि ईशाक मौहम्मद से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क सी अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड hp 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क सी-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री रामनिवास की आवाज होने की पहचान की है। प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 02 को कार्यालय के श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से नष्ट करावाई गई। बाद कार्यवाही मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि न0 15, व जप्त शुदा वजह सबुत आर्टिकल हमरा लेकर रवाना हो एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में सील्ड जप्तशुदा वजह सबुत आर्टिकल एच.एम. मालखाना को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराये गये। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भोपालपुरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर, हाल हैड कानि 15, पुलिस थाना रानौली जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश भास्कर के भतीजा सुनील भास्कर के विरुद्ध पुलिस थाना रानोली में गुमशुदा मनीषा की गुमशुदगी दर्ज थी जिसमे श्री सुनील भास्कर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करने की एवज में दिनांक 28.09.2025 गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 03.10.2025 को आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि 15, द्वारा परिवादी श्री मुकेश भास्कर से 15,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार आरोपी श्री रामनिवास हैड कानि न0 15 का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूंने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम भोपालपुरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर, हाल हैड कानि 15, पुलिस थाना रानौली जिला सीकर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 65 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1474-77 दिनांक 04-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर। 2-पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused Investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/07/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)